

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2017 पुनरीक्षण

(28)

III/10/रा-ग/459/झ०४१०/२०१७/२५२२

श्री उक्त केबि ३५८८५
द्वारा आज दि. २१८१९२ को
प्रस्तुत
करके ओफ कोट २-८-१७
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र जनवेद सिंह
जाति—ठाकुर निवासी ग्राम—नौगांव
तहसील व जिला—मुरैना म.प्र.
2. मनीष कुमार पुत्र हरीशंकर
निवासी ग्राम—पढ़ावली
तहसील व जिला—मुरैना
3. केशव सिंह पुत्र रामअख्यार सिंह
निवासी ग्राम—पढ़ावली
तहसील व जिला—मुरैना
4. बालकिशन पुत्र देवीसिंह
निवासी ग्राम—जरे रुआ
परगना व जिला—ग्वालियर
5. बृजकिशोर पुत्र भगवती
निवासी—गोरमी जिला—भिण्ड
विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

अपर आयुक्त जिला—मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 100/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 03/05/2017 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा—50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं—

- (Signature) 21/8/2017*
1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त विवादित आदेश एवं आवेदकगण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही अवैध, अनियमित एवं मनमानी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
 2. यह कि, आवेदकगण ने किसी भी शासकीय भूमि से कोई उत्खनन नहीं किया है आवेदकगण के विरुद्ध उत्खनन किया जाना किसी भी वैध साक्ष्य से प्रमाणित न होते हुये पारित किये गये विवादित आदेश न्यायायीक प्रक्रिया के पूर्णतः विपरीत है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।
 3. यह कि, आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कारण बताओं सूचना पत्र का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया था जिसमें उत्खनन किया जाना अस्वीकार करते हुये निवेदन किया था कि आवेदकगण के विरुद्ध स्थापित की गयी कार्यवाही समाप्त की जायें।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / मुरैना / भूराज 0 / 2017 / 2522

रथान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-2017	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त चम्बल संभाग के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03-5-2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि खनिज निरीक्षक मुरैना एवं अपर तहसीलदार बानमोर द्वारा ने औचक निरीक्षण किया जहां प्रश्नाधीन सर्वे कमांकों पर पत्थर उत्खनन करते हुये पाया गया। मौके पंचानामा सहित प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना द्वारा प्रकरण कायम कर आवेदकों कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा आवेदक के जबाव प्राप्त करने के उपरांत अवैध उत्खनन सिद्ध पाते हुये आदेश पारित कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को कलेक्टर मुरैना एवं अपर आयुक्त चम्बल द्वारा स्थिर रखा। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>K</p>	(एस०एस० अली) सदस्य